

8¹¹/₂₄

प्राक्ती प्रत्युता वमील पताकारान उपर वमील
वमील गार थोडेश दिनांक 13-5-24 सी पालन)
नही सी गई। अतः वर के प्राक्त्वाताउगाए
09 रु के तहत सार्वीन पत्र जारी त्तर पर
खारिज किया जाता है। एण पत्र जैतल युगाए
होत्र काकिल दपतर हो व दर्प नप्यर स कर

ही

सुरेश राव आर.ए.एस
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

